रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072020-220413
CG-DL-E-08072020-220413

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]	**नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2020/आषाढ़ 17, 1942**
No. 330]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2020/ASADHA 17, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2020

सं. 17/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 433(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "स्टील और फाइबर ग्लास के मैसूरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 9017 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 549(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2019, जिसे दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा करने के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020, जिसे 18 जून, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग **I**, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) यदि इस शुल्क को खत्म कर दिया जाता है तो विषयगत देश से विषय विषयगत वस्तु की यहां भरमार होती रहेगी और भारत के बाजार में इसकी बहुत कम कीमत पर आयात होने की संभावना बनी रहेगी;

(ii) घरेलू उद्योगों के कारोबार में तो सुधार हुआ है लेकिन इस पर इस तरह की भरमार का प्रभाव पड़ने की संभावना है और परिणामस्वरूप इनको नुकसान हो सकता है;

(iii) दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चलता है कि यदि इस स्तर पर लागू प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इनके भरमार होने की स्थिति जारी रहेगी/या फिर से शुरू हो सकती है और इनसे नुकसान हो सकता है;

(iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनसे यह पता चलता है कि यदि इस अवसर पर एडीडी को समाप्त कर दिया जाता है तो इस प्रकार की हो रही भरमार जारी रहेगी और घरेलू उद्योगों को फिर से नुकसान हो सकता है ।

और उन्होंने यहां के घरेलू उद्योग को हुई ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जुलाई, 2015, जिसे सा.का.नि. 549 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जिनकी विशिष्टता कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित हैं पर कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से, कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है -

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	विशिष्टता	मूलत: उत्पादन का देश	नियार्तक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	स्टील टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	1.83	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	स्टील टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	1.83	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
3	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	कोई भी	2.56	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
4	9017 80 10 या 9017 90 00	मैसूरिंग टेप्स	फाइबर ग्लास टेप्स और उनके पार्ट्स या घटक	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीनवादी गणराज्य	कोई भी	2.56	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 354/102/2009 –टीआरयू (पार्ट- II)]

जे.एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2020

No. 17/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 433(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 7/24/2019-DGTR dated 18th December 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th December 2019, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Steel and Fibre Glass Measuring tapes and their parts and components" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 9017 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/2015- Customs (ADD), dated the 9th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 549 (E), dated the 9th July, 2015;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. F. No. 7/24/2019-DGTR, dated the 18th June, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- I, Section 1, dated the 18th June, 2020 has come to the conclusion that: -

(i) there is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty;

(ii) the domestic industry's performance has improved but remains vulnerable to dumping and consequent injury;

(iii) the information on record shows likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;

(iv) there is sufficient evidence to indicate that the cessation of anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and recurrence of injury to the Domestic Industry,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act,1975 read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/2015-Customs (ADD), dated the 9th July, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 549 (E), dated the 9th July, 2015, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, specification of which is specified in column (4), falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Tariff item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel Tapes and parts and components thereof	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	1.83	kg	US$
2	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Steel Tapes and parts and components thereof	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	1.83	kg	US$
3	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre glass Tapes and parts and components thereof	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any	2.56	kg	US$
4	9017 80 10 or 9017 90 00	Measuring Tapes	Fibre glass Tapes and parts and components thereof	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	2.56	kg	US$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No.354/102/2009-TRU (Pt.II)]

J.S.KANDHARI, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.08 20:08:01 +05'30'